

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 अप्रैल 2026 — वैशाख 10, शक 1948

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क. ESTB/16563/2025-TRANSPORT.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ परिवहन चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (8) में, शब्द तथा अंक “कक्षा 5वीं उत्तीर्ण” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 अप्रैल 2026

क. ESTB/16563/2025-TRANSPORT.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-04-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 29th April 2026

NOTIFICATION

F.No. ESTB/16563/2025-TRANSPORT.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Transport Class-IV Service Recruitment Rules, 2014, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said Rules,-

In Column (8) of serial number 2 of Schedule, for the words and figure “Class 5th passed”, the words and figure “Should have passed 8th Class examination from any recognized Board/Institution” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMLESH BANSOD, Joint Secretary.